न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–हरि सिंह मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या–डिकी 334/2015
पंजीयन दिनांक 04.11.2015

(1). जय सिंह पिता तेजा जाति बंजारा निवासी किशनपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट

बनाम

(1). बिहारी पिता तेजा जाति बंजारा निवासी किशनपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(2). बंशीलाल पिता तेजा जाति बंजारा निवासी किशनपुरा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़।
(3). पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा प्रतापनगर, चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
(4). भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार
प्रकरण संख्या 103/2014 प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 18.06.2015

उपस्थित वक्त बहस–(1). कृष्णगोपाल व्यास–अधिवक्ता अपीलांट
(2). छोगालाल जाट– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3
(3). रेस्पोडेन्ट संख्या 2– बावजूद सूचना अनुपस्थित
(4). पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 4

निर्णय **दिनांक 28.10.2022**

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 ने वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा किशनपुरा तहसील गंगरार की खाता संख्या 58 मे दर्ज आराजी संख्या 324, 325, 326 कुल किता 3 कुल रकबा 2.21 हैक्टेयर स्थित है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की सयुंक्त खातेदारी मे दर्ज है। उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात मे वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट प्रत्येक का 1/3, 1/3 हक हिस्सा निहित है। अन्त मे उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट के मध्य बंटवाड़ा उनके निहित हक हिस्से अनुसार व अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी किस्म के अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार किया जाकर पृथक-पृथक राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज किये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु नियत थी जिसे दिनांक 18.06.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट चोगावडी मे नियत किया जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की जाकर वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट प्रत्येक के 1/3, 1/3 हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गंगरार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन रास्ते की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए व बैंक रहन यथावत रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की।

अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रथम अपील म्याद बाहर इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है।

अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपील के साथ प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र प्रस्तुत किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किये जाने की प्रार्थना की।

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

संहित मे प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-5 कानून म्याद अधिनियम 1963 मय शपथ-पत्र स्वीकार किया जाकर अपील मे हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सभी खातेदार उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात पर पृथक-पृथक काबिज होकर काश्त कर रहे है, तदनुसार विभाजन किया जावे। परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्य के आधार पर कोई तनकीयात विरचित नहीं की और न ही उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट को अपनी साक्ष्य से यह प्रमाणित करना था कि सभी खातेदारान के बीच पूर्व मे मौके पर विभाजन हो गया है तथा अलग-अलग हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है परन्तु साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया तथा पत्रावली दिनांक 08.05.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी हेतु नियत थी जिसे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की बिना जानकारी के दिनांक 18.06.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट चोगावडी मे नियत किया जाकर उभय पक्षकारान की बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के गुणावगुण पर उक्त वर्णित सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। साथ ही अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत होने के बावजूद प्रकरण मे तनकीयात कायम किये बिना व साक्ष्य सबूत लिए बिना ही लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो सिविल प्रकिया संहिता के अनिवार्य प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण की ओर से उक्त वर्णित सम्पर्ण विवादित कृषि आराजीयात के बंटवाड़े व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 1 अपीलांट की ओर से पत्रावली मे जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 18.06.2015 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट चोगावडी मे रखी जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

वर्णित संयुक्त खातेदारी की सम्पूर्ण विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मेट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो उभय पक्षकारान के राजस्व रेकॉर्ड मे दर्ज हक हिस्से के अनुसार होने व विधि सम्मत होने से अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अन्त मे अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने की प्रार्थना की।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत होना बताते हुए अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत अपील को सारहीन होना बताकर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत बंटवाड़े व स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र की चरण संख्या 2 को अस्वीकार करते हुए विवादित कृषि आराजीयात का बंटवाड़ा पक्षकारान के मौके व कब्जे अनुसार किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात विचचित की जानी थी परन्तु अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली मे बिना तनकीयात कायम किये पत्रावली को प्रतिवादी संख्या 2 की तलबी मे विचाराधीन रहते हुए अपरिपक्व वादपत्र को अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 को बिना सूचित किये लोक अदालत मे रखा जाकर उभय पक्षकारान के मध्य बिना सहमति व बिना किसी लिखित राजीनामे के लोक अदालत के तहत गुणावगुण पर उक्त वर्णित विवादित कृषि आराजीयात के विभाजन की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है जो लोक अदालत की भावना के विपरीत होने से एवं आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हे।

फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 103/2014 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 18.06.2015 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार तनकीयात कायम करते हुए, उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, आदेश 20 नियम 5 जाप्ता दीवानी की पालना करते हुए गुणावगुण पर, तनकीवार, अजसरे , नवनिर्णय पारित करे। उभय

राजस्व अपील प्राधिकारी
चितौड़गढ़ (राज.)

प्रकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 02.12.2022 को स्वयं उपस्थित रहे

निर्णय आज दिनांक 28.10.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटायी जावे।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़(राज0)

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)